

लय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन सिटी

फर्द अहकाम

पत्रावली देखा है। वादी व वादी वकील
 उपस्थित नहीं। प्रकरण के बार-बार वादी
 व वादी वकील को आवाज दिलवायी गयी।
 आवाज दिलाने के बावजूद वादी व वादी
 वकील उपस्थित नहीं। जिससे जाहिर हो रहा है
 कि वादी व वादी वकील प्रकरण आगे नहीं
 चलाया चाहते हैं। अतः मुं० नं० 202/2019 दावा
 विधान बनाम देवी शिवा अयम हाजरी व
 अयम पैरवी में स्थागित किया जाता है। पत्रावली
 फौजदारी नंबर देकर नंबर से अग्रही

उपखण्ड अधिकारी
 हिण्डौन सिटी (करौली)

